

## RAJYA SABHA

Wednesday, the 13th March, 1963 | the  
22nd Phalgun, 1884 (Saka)

The House met at eleven of the clock, MR. CHAIRMAN in the Chair.

### ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

\*335. [The questioner (Shri Surjit Singh Atwal) was absent. For answer, vide col. 2709 infra].

\*336. [The questioner (Shri Babubhai M. Chinai) was absent. For answer, vide col. 2709 infra].

### कमजोर पुलों की सूचियां

\*३३७. श्री विमलकुमार मन्नालालजी  
चौरङ्गिया : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री  
यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सड़क तथा अंतर्देशीय जल परिवहन संरक्षण समिति तथा परिवहन विकास परिषद् ने १९६१ में हुई अपनी बैठकों में "विभिन्न राज्यों में पुलों के ऊपर मोटर गाड़ियों में लाये जाने वाले रजिस्टर्ड भार में वृद्धि" के सम्बन्ध में जो सिफारिश की थी; उन में से एक के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से कमजोर पुलों की जो सूचियां मांगी थीं, वे किस-किस राज्य से प्राप्त हो चुकी हैं ;

(ख) उपरोक्त भाग (क) में निर्दिष्ट सूचियों में उल्लिखित पुलों की भारवहन क्षमता को बढ़ाने के लिये क्या योजनाएँ बनाई गई हैं; और

(ग) जिन राज्यों ने ऐसी सूचियां नहीं भेजी है उनके बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

1281 RS—1 .

### †[LISTS OF WEAK BRIDGES

\*337. SHRI V. M. CHORDIA: Will the Minister of TRANSPORT AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the names of those States from whom the lists of weak bridges asked for by the Central Government have been received in accordance with one of the recommendations regarding "increase of registered laden weight that could be carried over bridges in the different States", which were made by the Road and Inland Water Transport Advisory Committee and Transport Development Council in their meetings held in 1961;

(b) what schemes have been prepared for increasing the load bearing capacity of the bridges mentioned in the lists referred to in part (a) above; and

(c) what action has been taken regarding those States which have not furnished such lists?]

परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में  
नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क)  
से (ग) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत  
है ।

### विवरण

(क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्गों पर पड़ने वाले कमजोर पुलों को मालूम करने तथा उन्हें मजबूत करने या फिर से बनाने की दृष्टि से राज्य सरकारों से निवेदन किया गया है कि वे अपने राज्यों में कम से कम दो राष्ट्रीय राजमार्गों में पड़ने वाले पुलों का सर्वेक्षण करें और उसका परिणाम भारत सरकार को भेज दें । बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, मद्रास, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश से कुछ सूचना प्राप्त हुई है । परन्तु सब राज्यों से सूचना प्राप्त होने पर इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट

†[ ] English translation.

तैयार की जायगी। इन सर्वेक्षणों के परिणाम के विषय में राज्य सरकारों से बराबर तकाजा किया जा रहा है। राज्य सरकारों से यह भी निवेदन किया गया है कि वे प्रदेश राजमार्गों पर स्थित पुलों का भी इस प्रकार का सर्वेक्षण करें और कमजोर पुलों को मजबूत करके फिर से बनाने के लिये आवश्यक कार्यवाही करें।

नवीनतम सूचना से मालूम हुआ है कि मद्रास सरकार ने अपने राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर २७,००० पौण्ड कुल भार की मोटर गाड़ियों को चलाने की अनुमति देने के अनुदेश जारी कर दिये हैं। महाराष्ट्र और गुजरात सरकारों ने भी अपने अपने राज्यों में अनेक सड़कों पर पहले से अधिक भारी मोटर गाड़ियों को चलाने की अनुमति दे दी है। अमृतसर-आगरा सड़क पर मिली जुली ट्रक-ट्रेलर गाड़ियों को चलाने की भी अनुमति दे दी गई है।

†[THE MINISTER OF SHIPPING IN THE MINISTRY OF TRANSPORT AND COMMUNICATIONS (SHRI RAJ BAHADUR:) (a) to (c) A statement is laid on the Table of the Sabha.

#### STATEMENT

(a) to (c) With a view to ascertaining weak bridges on National Highways and to strengthening reconstructing them, the State Governments have been requested to survey at least two National Highway routes in their respective States and to communicate results to the Government of India. Some information has been received from Bihar, West Bengal, Orissa, Punjab, Madras, Maharashtra, and Himachal Pradesh, but a comprehensive report will be prepared on receipt of the required information from all the States who are being reminded continuously to furnish the results of these surveys. The State Governments have also been requested to conduct similar surveys and to take necessary action to strengthen/recons-

truct the weak bridges on State Highways.

Latest information shows that the Madras Government have since issued instructions permitting the operation of vehicles of 27,000 lbs. gross weight on all the National Highways in the State. The Governments of Maharashtra and Gujarat have also permitted the operation of higher loads on several roads in their respective States. Further, the operation of truck-trailer combinations has also been permitted on the Amritsar-Agra road.]

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : क्या श्रीमान् यह बतलाने की कृपा करेंगे कि काफी असें से यह काम चल रहा है कि ऐसे पुलों को ठीक किया जाय तो जिन जिन राज्यों से इसके बारे में जानकारी आ गई है उसके बारे में विचार करके क्यों नहीं उनका काम प्रारम्भ कर दिया गया ?

श्री राज बहादुर : जिन जिन राज्यों से सूचना आ गई है उनमें से कुछ के बारे में कार्यवाही शुरू कर दी गई है। जैसा कि बयान में लिखा है, मद्रास में २७ हजार पौंड की गाड़ियों को चलाने के लिये अब कुछ राष्ट्रीय मार्गों पर इजाजत दी गई है। गवर्नमेंट आफ महाराष्ट्र ने इसी तरह से कुछ सड़कों पर इजाजत दे दी है। गुजरात में भी इसी तरह से काम किया जा रहा है। यह काम कोई एक दिन का नहीं है। इसमें काफी वक्फा लगेगा। मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे सर्वेक्षण होता जायेगा, वैसे वैसे यह काम होता जायेगा।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : मैं यह पूछना चाहता था कि जो पुल कमजोर हैं और जिन पुलों पर अभी तक भारी गाड़ियां नहीं चल सकतीं उनको मजबूत करने की योजना बनाई गई है न कि यह कि उन्होंने इजाजत दे दी है अथवा नहीं, तो उन पुलों को ठीक करने की योजना बनाने के लिये जिन जिन राज्यों ने सूचना श्रीमान् के पास

भेज दी, उन राज्यों की रिपोर्ट पर विचार करके वहां के पुलों को बनाने और मजबूत करने की कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

श्री राज बहादुर : पुल बनाना एक साधन है और भारी गाड़ियों के लिये इजाजत देना लक्ष्य है और जिन जिन जगह सर्वे किया गया है इसी लक्ष्य को ले करके किया गया है कि अगर कोई पुल कमजोर नजर आये तो उनको मजबूत किया जाय ताकि हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकें ।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : क्या श्रीमान् यह बतलायेंगे कि बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, मद्रास, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश, जहां से कुछ सूचना प्राप्त हुई है वहां कितने पुलों के बारे में सर्वेक्षण करने पर जब यह पता चला कि ये पुल कमजोर हैं तो उसके पश्चात् उनको ठीक कर दिया गया और फिर उन पर से भारी गाड़ियों के चलाने की अनुमति दे दी ?

श्री राज बहादुर : मैं गिनती पुलों की तो नहीं कर सकूंगा लेकिन यह जरूर है कि जिन नेशनल हाईवेज पर यह सर्वेक्षण किया गया उन पर जितने पुल कमजोर नजर आये वे जब मजबूत कर दिये गये तब उन पर २७ हजार पौंड भार की गाड़ियों को चलाने की इजाजत दे दी गई जसा कि मद्रास, महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में बताया गया है ।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : क्या श्रीमान् यह बतलायेंगे कि मद्रास, महाराष्ट्र और गुजरात में एक भी पुल ऐसा बाकी नहीं रहा जिसमें कि जिस आशय की उनसे रिपोर्ट मांगी गई थी उस तरह की कोई कमजोरी नहीं रही ?

श्री राज बहादुर : मैं बार बार निवेदन कर चुका हूं और एक बार फिर निवेदन कर देता हूं कि जहां तक राष्ट्रीय मार्गों का सम्बन्ध है मद्रास में वह सब पुल मजबूत कर

दिये गये हैं तब २७ हजार पौंड भार की गाड़ियों को उन पर से चलाने की इजाजत दी गई है ।

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: May I know, Sir, whether when certain bridges are required to be reinforced or strengthened, before this work is actually taken in hand, any warnings by way of signs etc. are put up to warn the people to restrict the weight and speed of their vehicles on such bridges?

SHRI RAJ BAHADUR: Sir, there is some permissible registered laden weight which is known to all the people who are plying trucks or motor vehicles thereon. Necessarily, therefore, no vehicle is supposed to go which is overweight.

SHRI M. P. BHARGAVA: May I know whether this question was considered in the Conference of Transport Controllers, as the subject formed one of the recommendations of the Masani Committee, and, if it was considered in the Transport Controllers' Conference, whether they accepted this in principle and, if so, why there is delay in implementing that decision?

SHRI RAJ BAHADUR: This has been considered from time to time. The objective has been accepted and agreed to on all hands. The only limiting factor is the availability of necessary finance to complete all the works together.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : क्या श्रीमान् यह बतलायेंगे कि मध्य प्रदेश शासन को इसके बारे में कितनी बार लिखा गया और उनकी तरफ से क्या जानकारी आई ?

श्री राज बहादुर : कितनी बार लिखा गया, यह गिनती मेरे पास नहीं है । लेकिन यह जरूर है कि जिन राष्ट्रीय मार्गों के बारे में

सर्वेक्षण किया गया है उन के बारे में उनको सुझाव दिया गया है कि उन पर जैसा उनका स्टाफ है या उन के पास फंड्स हैं, उसको देखते हुए काम शुरू कर दिया जाय।

DR. SHRIMATI SEETA PARNAND: Is the hon. Minister, who was pleased to say that the people who plied their trucks were supposed to know the weight that could go over those bridges, aware that times out of number overweight trucks, etc. go there and they have to be caught? Therefore, Sir, what arrangements are being made to occasionally check the weight of those trucks?

SHRI RAJ BAHADUR: Sir, non-observance of the rule does not mean that the rule does not exist there. If any breach thereof, of course, is detected and, whenever it is detected and caught, the culprits are suitably punished.

#### CHANGABILITY OF LOCO MAINTENANCE AND LOCO RUNNING STAFF

\*338. SHRI M. P. BHARGAVA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the loco maintenance staff and the loco running staff are inter-changeable from time to time;

(b) whether any cases of difference of opinion between the maintenance staff and running staff of railway engines have been brought to the notice of the railway authorities; and

(c) if so, who is the final authority to certify proper running of railway engines?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SHAH NAWAZ KHAN): (a) No.

(b) No.

(c) Does not arise.

SHRI M. P. BHARGAVA: May I know whether any cases have come to the notice of the Railway Ministry where experienced engine drivers have refused to take out the engines given to them, because according to them those engines are defective?

SHRI SHAH NAWAZ KHAN: Sir, in judging the suitability of a locomotive, whether it is fit to go on the line or not, the deciding authority is the loco foreman, who is an expert on the subject. And generally, Sir, it is his opinion that should count.

SHRI M. P. BHARGAVA: May I know whether it is a fact that in one case the engine which the driver declared as defective was forced by the authorities to be taken out and it met with an accident after going only twenty miles?

SHRI SHAH NAWAZ KHAN: Sir, I am not aware of that particular incident but if the hon. Member gives me some details, I shall certainly look into the matter.

SHRI M. P. BHARGAVA: May I know whether the hon. Minister is aware that there are cases where experienced drivers, with experience of driving mail trains, have been suspended, because they refused to take the engines which were defective according to them?

SHRI SHAH NAWAZ KHAN: Sir, no such instance has come to our notice.

SHRI FARIDUL HAQ ANSARI: May I remind the hon. Minister about one engine which my hon. friend, Mr. Bhupesh Gupta, mentioned last year, that *pagla* engine on the Eastern Railway? Several loco drivers were compelled to take that engine out but they refused to do that.

SHRI SHAH NAWAZ KHAN: Sir, we looked into that case but we did not find anything *pagla* about that engine.